



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt.ofHaryana

No. 1-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 1, 2019 (PAUSA 11, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 जनवरी, 2019

संख्या 10/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 86/जीएसटी-2, दिनांक 18 सितंबर, 2018 में आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 86/जीएसटी-2, दिनांक 18 सितंबर, 2018 में, दूसरे परन्तुक में:-

- (i) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई भी बात, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को लागू नहीं होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी एक व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति के बीच होता है।”।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st January, 2019

No. 10/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section-1, read with Section-51 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 86/GST-2, dated the 18th September, 2018, namely:—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 86/GST-2, dated the 18th September, 2018, after the second proviso,:-

- (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
- (ii) the following proviso shall be added at the end, namely:-

“Provided further that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both which takes place between one person to another person specified under clauses (a), (b), (c) and (d) of Sub-section (1) of Section-51 of the said Act.”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.